पत्रांक–06A/न०वि०/SBM-SANCTIONS-03/2015...164

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

केन्द्रांश
स्वच्छ भारत मिशन

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, रांची।

राँची / दिनांक: 28/12/18

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय (स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय), भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या एवं पूर्व निर्धारित लक्ष्य के आधार पर आवंटित किये जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केन्द्रांश मद के लिए TSP एवं OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से प्रचार–प्रसार हेतु रू० 43,98,000/– (तैत्तालिस लाख अनठानबे हजार रूपये) मात्र अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालय (स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय), भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित किया जाना है।

उक्त प्रयोजन हेतु स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केन्द्रांश मद के लिए TSP एवं OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से इस योजना के लिए नामित नोडल एजेन्सी राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रचार–प्रसार हेतु रू० 43,98,000/–(तैत्तालिस लाख अनठानबे हजार रूपये) मात्र अनुदान की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:–

क्र०	अवयव	केन्द्रांश की विमुक्त राशि (रू०)		कुल आवंटित राशि
		TSP	**OSP**	
1	प्रचार–प्रसार	**22,98,000**	**21,00,000**	**43,98,000**

2. उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केन्द्रांश मद में TSP एवं OSP प्रक्षेत्र से निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :–

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
TSP	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप–शीर्ष–73, स्वच्छ भारत मिशन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780796730679	22,98,000
OSP	मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–191 नगर निगमों को सहायता–उप–शीर्ष–73, स्वच्छ भारत मिशन (केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन), विपत्र कोड–48C221780191730679	21,00,000

3. भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के पत्रांक–1/16/2015-SBM दिनांक–13.12.2018 द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु वर्ष 2018–19 के रूप में 0.4398 करोड़ राशि राज्य सरकार को विमुक्त की गयी है।

4. प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अंतर्गत 75% राशि भारत सरकार एवं 25% राशि राज्य सरकार द्वारा देय होगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जाएगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या–2206, दिनांक– 25.06.15 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन" (शहरी) कार्यक्रम को झारखण्ड राज्य में कार्यान्वित करने हेतु दिशानिर्देश एवं कार्यप्रणाली की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(232)

7. स्वच्छ भारत मिशन योजना (शहरी) वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ हुई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र (वर्ष 2015–16) विभागीय पत्रांक– 426, दिनांक– 16.03.2018 द्वारा समर्पित किया जा चुका है।

8. योजना–सह–वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत विभागीय आदेश संख्या–168 दिनांक– 23.09.2016 के आलोक में निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) राशि का संघारण स्वच्छ भारत मिशन (IEC) हेतु अलग से खोले गये बैंक खाता में करेंगे। बैंक से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :–

Bank Name	IFSC Code	A/c Name	A/c Number
Allahabad Bank, Ranchi	ALLA0211069	State Urban Development Agency (IEC)	50355028237

9. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०–759/वि०, दिनांक– 20.03.2015 की कंडिका–5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र कोषागार में TC Form-41 में प्रस्तुत किया जायेगा।

10. इस राशि की निकासी में वित्त नियमावली एवं कोषागार संहिता के प्रावधनों का अनुपालन किया जायेगा। भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने एवं पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा। वित्त विभाग के पत्रांक–903, दिनांक–02.03.2002 में चिन्हित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा निश्चित रूप से किया जायेगा। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि का व्यय योजना के चिन्हित अवयवों में किया जाय। इसके अतिरिक्त किसी अन्य मद में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विहिप प्रपत्र में महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को निश्चित रूप से भेजा जायेगा एवं इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०–2561/दिनांक– 17.04.1998 में सन्निहत प्रक्रियाओं एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन किया जायेगा।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०–759/वि०, दिनांक– 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकारी पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 759/वि० दिनांक– 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–06A/न०वि०/SBM-SANCTIONS-03/2015.....164 राँची/दिनांक: 28/12/18

प्रतिलिपि :– योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–06A/न०वि०/SBM-SANCTIONS-03/2015.....164 राँची/दिनांक: 28/12/18

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन कोषागार, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।